<u>कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा (छ0ग0)</u>

<u>//विविध आदेश //</u>

क्रमांक 483 /दो–12–18/2006, जांजगीर, दिनांक 15/04/2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी परामर्शिका क्रमांक 343/II-15-08/2004(Pt.B.)/Confdl/2020 Bilaspur Dated 16 March 2020,आदेश क्रमांक–40(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 23 March, 2020, आदेश क्रमांक–41(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 26 March, 2020, आदेश क्रमांक –43(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 14 April, 2020 के आलोक में दिनांक 20/04/2020 से 02 मई, 2020 के परिप्रेक्ष्य मे एवं जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर–चांपा के सभी न्यायालयों में **जमानत याचिका, अत्यावश्यक आदेश हेतु आवेदन, द0प्र0सं0 की धारा 164 के तहत कथन, स्टे प्रदान करने हेतु आवेदन तथा ऐसे अन्य अतिआवश्यक मामलों को छोडकर,** जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर–चांपा के सभी न्यायालयों में लंबित न्यायिक अभिरक्षा के बंदियों के प्रकरण जो दिनांक 15 अप्रेल 2020 से दिनांक 20/04/2020 तक नियत हैं, उनमें निम्न तिथियों के प्रकरण को निम्न आगामी तिथि दी जा सकती है:

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी तिथि जिसमें प्रकरण लिये जायेंगे
1	15/04/2020	04/05/2020
2	16/04/2020	05/05/2020
3	17/04/2020	06/05/2020
4	20/04/2020	07/05/2020

नोटः यदि कोई सत्र प्रकरण 2 या 3 दिनों के लिये नियत है, तब उस सत्र प्रकरण के प्रथम दिवस की तिथि को आगामी तिथि ज्ञात करने के लिये माना जावेगा।

इसी प्रकार दिनांक 15/04/2020 से दिनांक 20/04/2020 तक लंबित सभी सिविल एवं आपराधिक प्रकरण (जो न्यायिक अभिरक्षा के बंदियों के प्रकरण नहीं हैं) वे प्रकरण निम्न तिथि के प्रकरण निम्न तिथि पर लिये जा सकते हैं:—

कमांक	नियत दिनांक	आगामी तिथि जिसमें प्रकरण लिये जायेंगे
1	15/04/2020	11/05/2020
2	16/04/2020	12/05/2020
3	17/04/2020	13/05/2020
4	20/04/2020	14/05/2020

अतः सभी पक्षकारों यहां तक कि गवाहों एवं अधिवक्ताओं से भी निवेदन है कि जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर—चांपा में नियत उक्त सभी प्रकरण उक्त अनुसार दिनांकों को लिये जायेंगे। अतः वे इस संबंध में अपने सभी पक्षकारों को सूचित करने का कष्ट करें। लेकिन सभी न्यायालयों में लंबित एवं प्रस्तुत होने वाली **जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका, अत्यावश्यक आदेश हेतु आवेदन, द0प्र0सं0 की धारा 164 के तहत कथन, स्टे प्रदान किये जाने हेतु आवेदन तथा ऐसे अन्य अति—आवश्यक मामले** पूर्ववत ग्रहण किये जायेंगे और निराकृत किये जायेंगे, लेकिन कोई भी मामला अतिआवश्यक (Extremely urgent Case) है या नहीं? यह निर्धारित करने का कार्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर— चांपा (छ0ग0) द्वारा किया जावेगा। इस हेतु आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर—चांपा के प्रशासनिक अधिकारी श्री सुदीप नाग के मोबाईल फोन नम्बर 8889843171 में बतायेंगे कि उनका उक्त आवेदन किस प्रकार Extremely urgent Case है?

नोटः **जिनके मोबाईल नम्बर प्रकरण में उपलब्ध है, उन्हें पृथक से एस0एम0एस0द्वारा सूचना भेजी जा रही है, लेकिन तकनीकी त्रुटि आने की स्थिति में यह सम्भव हो सकता है कि एस0एम0एस0 न प्राप्त हो सके।**

(राजेश श्रीवास्तव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर चांपा(छ0ग0)

प्रतिलिपिः

पृ0क0 ५८५ दो–12–18 / 2006, जांजगीर, दिनांक 15 / 04 / 2020

1– प्रथम / द्वितीय / तृतीय,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर / सक्ती।

2– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0) जांजगीर।

3– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो(एफ0टी0सी0) सक्ती।

4– व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 जांजगीर / सक्ती / अकलतरा / चांपा

5– व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–02 जांजगीर / चांपा / सक्ती / डभरा / जैजैपुर / मालखरौदा / पामगढ / नवागढ

6– प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग जांजगीर / अकलतरा / चांपा / सक्ती / डभरा / जैजैपुर / मालखरौदा / पामगढ / नवागढ

7– अध्यक्ष / सचिव, अधिवक्ता संघ, जांजगीर / चांपा / अकलतरा / पामगढ / नवागढ / सक्ती / डभरा / जैजैपुर / मालखरौदा।

8– शासकीय अभिभाषक / लोक अभियोजक जांजगीर / अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर / सक्ती

9– जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जांजगीर

10– अधीक्षक जिला जेल जांजगीर / उपजेल सक्ती।

11– प्रस्तुतकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश / ~~विशेष न्यायाधीश~~, जांजगीर–चांपा।

15.4.20

(राजेश श्रीवास्तव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर चांपा(छ0ग0)